100

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 307–तीन/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–1–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 345/1999–2000/अपील.

कैलाश सिंह पुत्र कुन्दरसिंह
निवासी बिल्हेरू तहसील मुंगावली
जिला अशोकनगर

——— आवेदक

विरूद्ध

1. जयराम मृत वारिसान गीताबाई बेवा
   स्व0 श्री जयराम
2. अनरत पुत्र दुर्गा
3. पूरन पुत्र गजुआ
   समस्त निवासीगण ग्राम बिल्हेरू
   तहील मंगावली जिला अशोकनगर म0प्र0

——— अनावेदकगण

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/11/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के आदेश दिनांक 29–1–2006 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार मुंगावली के द्वारा ग्राम बिल्हेरू की नामांतरण पंजी कमांक 10 पर दिनांक 24–1–92 को भूमि सर्वे कमांक 259 रकवा 1.515 है0 पर रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर केता

कैलाश के हक में नामांतरण आदेश पारित किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी गुंगावली के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 29–3–2000 के द्वारा अनावेदकों की अपील अस्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 29–1–2007 के स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के समस्त आदेश अपास्त किये और प्रकरण तहसीलदार को पुनः नामांतरण नियमों का पालन करते हुये गुण–दोषों के आधार पर निराकरण के निर्देश दिये। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किये जाने का अनुरोध किया।

4/ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा सहखातेदारों को बिना सूचना दिये एवं बिना विधिवत उद्घोषणा जारी किये नामांतरण किया है। नामांतरण पंजी में प्रमाणीकरण आदेश में विकेता सहमत हैं, लिखा है परन्तु नामांतरण पंजी पर किसी विकेता अथवा सहखातेदार के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। तहसीलदार द्वारा इस बात पर भी विचार नहीं किया कि 11 वर्ष बाद एवं मूल भूमिस्वामी की मृत्यु के पश्चात नामांतरण हेतु आवेदन क्यों प्रस्तुत किया गया था। इन्हीं कारण से अपर आयुक्त द्वारा नामांतरण नियमों का पालन नहीं करने से तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के अवैधानिक की पुष्टि किये जाने से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश भी निरस्त किया है। अपर आयुक्त ने पुनः नामांतरण नियमों का पालन करते हुये गुण–दोषों के आधार पर निराकरण के निर्देश दिये हैं। अपर

आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर का आदेश दिनांक 29–1–2006 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर